न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

33/2024

श्री राम किशोर पुत्र गेन्दी लाल जाति मीणा निवासी गोविन्दपुरा (सिंदडा) तह0 निवाई जिला टोक राज0

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई, टोंक प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **03.09.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई, टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1.ग्राम गोविन्दपुरा हल्का पटवारी सिंदडा द्वारा खाता स.1 गोविन्दपुरा के नामांतकरण स.306 व 304 दिंनाक 03.04.2024 को खोल गये नामान्तकरण की प्रतिया उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2 ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा संख्या 96/13 व 96/12 मे रास्ता हेतु क्या प्रकियाधीन है। दिंनाक 18.03.2024 को श्रीमान एस.डी.एम. साहब को उक्त रास्ता के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसकी जॉच आपके द्वारा की गई तो जॉच रिपोर्ट की एंव प्रकियाधीन कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपिया उपलब्ध कराने कि कृपा करे।
3. ग्राम गोविन्दपुरा के शमशान का रास्ता खसरा संख्या 103 पर अतिकमीयो द्वारा रास्ता का आदेश होने के बाद रामलाल पुत्र ऊकार मीणा निवासी चोरपुरा ने एक पक्का कमरा रास्ता मे बना दिया अब तक रास्ता पर अतिकमण हटाने कि हल्का पटवारी द्वारा की गई कार्यवाहि एंव आपको पेश रिपोर्ट की प्रतिया उपलब्ध कराने की कृपा करे ।
4 ग्राम गोविन्दपुरा के शमशान खसरा संख्या 104 मे आवंटन हेतु शमशान का प्रस्ताव व खसरा संख्या 92/3 मे सामुदायिक भवन का प्रस्ताव सरपंच ग्राम पंचायत सिंदडा के क्रमांक 28 दिंनाक 09.04.2024 व सामुदायिक भवन के कमाक 25 दिंनाक 07.03.2024 का एस.डी.एम. साहब को 12.04.2024 व 27.03.2024 को पेश किया गया था उक्त दोनो प्रस्तावो की आपके द्वारा जॉच रिपोर्ट एस.डी.एम.साहब को भिजवाई है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने कि कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 1020 दिनांक 19.07.2024, 1093 दिंनाक 06.08.2024, 1174 दिंनाक 20.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक